ISSN(Online): 2319-8753

International Journal of Innovative Research in Science, Engineering and Technology

(An ISO 3297: 2007 Certified Organization)

Vol. 2, Issue 11, November 2013

त्रिस्तरिय पंचायती राज व्यवस्था महिला आरक्षण व महिला उत्थान में कितना कारगर

डॉ. गणपत राम सुथार

सह-आचार्य, राजनीति विज्ञान, एसबीके राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, जैसलमेर

सार

Women Reservation in Panchayati Raj: पंचायती राज अधिनियम-1992 लागू होने से गांव की महिलाओं की स्थिति में काफी सुधार हुआ है। वर्तमान समय में महिला आरक्षण को कई राज्यों ने 33% से बढ़ाकर 50 प्रतिशत तक दिया है। जिससे पंचायती राज में महिलाओं की भूमिका और भागीदारी बढ़ी है। जैसा कि आप सभी जानते हैं प्राचीन समय से ही भारत में **महिलाओं का स्थान** महत्वपूर्ण रहा है। आजादी के बाद भी महिलाएं प्रत्येक क्षेत्र में अपनी उपस्थिति दर्ज करा रही हैं। चाहे वो विज्ञान का क्षेत्र हो या कला, साहित्य, सुरक्षा, खेल इत्यादि सभी क्षेत्रों में आगे हैं। सरकारें भी उन्हें आगे बढ़ने के लिए कई कदम उठा रही हैं। जिससे वे अपने पैरों पर खड़ी हो सकें और समाज में बदलाव ला सकें।

परिचय

पंचायतों में महिलाओं के लिए आरक्षण (Reservation for women in Panchayats)

ग्रामीण क्षेत्रों के लिए **पंचायती राज अधिनियम-1992** महिलाओं के लिए एक वरदान के रूप में उभरी है इसमें कोई संदेह नहीं है कि भारत में इस कानून लागू होने से महिलाओं की स्थिति में काफी सुधार हुआ है।आपको बता दें, संविधान के **73वें संशोधन-1992** में महिलाओं को पंचायतों में **एक तिहाई (33%)** आरक्षण दिया गया है। वर्तमान समय में इस आरक्षण को कई राज्यों ने इस सीमा को बढ़ाकर **50%** तक दिया है।[21] यही कारण है कि पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं की भूमिका और भागीदारी बढ़ी है। एक ओर जहाँ ग्रामीण क्षेत्र की महिलाए घूंघट में रहने के लिए विवश थी उन्हें पंचायतों में बोलने का बहुत कम अधिकार था। वे अपने पति, पिता या अन्य रिश्तेदारों पर निर्भर रहना पड़ता था। महिलाओं की समस्या पर वे खुद नहीं बोल पाती थीं।[20] लेकिन आज का समाज भी बदल रहा है और उन्हें इसके लिए अधिकार भी मिल रही है।पहली बार 1959 में जब पंचायतों के विकास के लिए **बलवंत राय मेहता समिति** का गठन किया गया तो इस समिति ने महिलाओं के लिए भी भागीदारी की बात की। समय-समय पर महिलाओं की शक्तिकरण के लिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं। लेकिन **पंचायती राज अधिनियम-1992** ग्रामीण भारत की महिलाओं की सशक्तिकरण में मील की पत्थर साबित हुई है।वर्तमान समय में हमें प्रत्येक क्षेत्र में महिलाऐं अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाती चली आ रही हैं। वैश्वीकरण की इस दौड़ में महिलाऐं पुरूषों के कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं।[1]

विचार-विमर्श

अभी भारत के संसद में महिलाओं को 33% का आरक्षण भले ही नहीं प्राप्त हो पाया हो लेकिन पंचायतों में महिलाओं के लिए एक तिहाई सीटें आरक्षित हैं।[2]अधिकांश राज्यों में इस आरक्षण को **33%** से बढ़ाकर **50%** कर दिया है। इन राज्यों में पंचायतों के प्रत्येक दूसरा पद महिलाओं के लिए आरक्षित है। 73वें संविधान के बाद पंचायती राज में महिला आरक्षण से महिलाओं की स्थिति में निरन्तर बदलाव आ रहा है। इससे पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है। [3]

आज देश में 2.5 लाख पंचायतों में लगभग 32 लाख प्रतिनिधि चुन कर आ रहे हैं। इनमें से 14 लाख से भी अधिक महिलाएं है। जो कुल निर्वाचित सदस्यों का 46.14 प्रतिशत है। पंचायती राज के माध्यम से अब लाखों महिलाएं राजनीति में हिस्सा ले रही हैं।बालिक शिक्षा के प्रति सोच सकारात्मक हुई है और इसके प्रति लोगों की रूचि बढ़ रही है।[19]आरक्षण के कारण महिलाएं अपने अधिकारों व अवसरों का लाभ उठा रही है।भारतीय समाज में महिलाओं की सामाजिक व आर्थिक हालत में सुधार व बदलाव के संकेत मिल रहे

ISSN(Online): 2319-8753

International Journal of Innovative Research in Science, Engineering and Technology

(An ISO 3297: 2007 Certified Organization)

Vol. 2, Issue 11, November 2013

हैं।पुरूषों के साथ कदम के कदम मिलाकर विकास कार्यों में सहभागिता बढ़ रही है।महिलाओं में आत्मनिर्भरता और आत्म-सम्मान का विकास हुआ है।[22]SC/ST और अन्य पिछड़े वर्ग की महिलाओं को आरक्षण के कारण राजनैतिक क्षेत्रों में कदम रखने का अवसर प्राप्त हुआ है।अतः कहा जा सकता है कि आरक्षण की व्यवस्था के कारण पंचायती राज में ही नहीं बल्कि देश के सभी वर्गों की महिलाओं को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्रों में कार्य करने का अवसर प्राप्त हुआ है।[4]

परिणाम

भारतीय समाज में महिलाओं को अभी और आगे आने की जरूरत हैं। विभिन्न अधिकार और आरक्षण प्राप्त होने के बावजूद, आज पंचायतों में महिलाओं की जगह उनके पति, पुत्र, पिता या रिश्तेदार उनकी भूमिका निभाते नजर आते हैं। अधिकतर निर्वाचित महिलाओं को निर्वाचक सदस्य होने के विषय में पूर्ण जानकारी भी नहीं है। ग्राम सभा की बैठकों में वे मूकदर्शक बनी रहती है, और उनके रिश्तेदार ही पंचायत के कामों का संचालन करते हैं। महिलाएं वही करती हैं जो उनके पति और रिश्तेदार कहते हैं। अगर उनसे पंचायतों के बारे में कुछ पूछा जाता है तो वह एक ही वाक्य में अपनी बात समाप्त कर देती हैं।[5]

अब भी कुछ परिवार महिलाओं को पंचायतों में काम करने की स्वीकृति नहीं देते हैं, क्योंकि वे महिला का स्थान घर में समझते हैं, पंचायत में नहीं। भारत के कई राज्यों में अब भी महिला सरपंचो के पति ही उनके काम संभालते दिख जाएंगे।[18] इस कारण उन्हें 'सरपंच पति' या 'प्रधान पति' जैसे शब्दों से नवाजा जाता है। यहाँ तक कि सभाओं में या अन्य जगहों पर अपने आपको प्रधान पति कहने में अपनी साख समझते हैं। उनका काम तो चुनाव लड़ने की प्रक्रिया से ही शुरू हो जाता है। पुरूष ही चुनावों में वोट माँगते हैं और प्रचार भी करते हैं। चुनाव में एजेंट बनने से मतगणना तक की व्यवस्था अपनी निगरानी में करवाते हैं।चुनाव से पहले और जीतने के बाद महिला प्रतिनिधि केवल हस्ताक्षर करती नजर आती हैं। उनकी तरफ से सारे वायदे और योजनाएं उनके पति ही जनता के सामने पेश करते हैं।[6]

इसके फलस्वरूप स्वस्थ जनप्रतिनिधियों का चुनाव नहीं हो पाता है। शिक्षा और जन-जागरूकता के अभाव में महिला प्रतिनिधियों को ग्राम पंचायत पर सरकार द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं की जानकारी नहीं हो पाती है। इस प्रकार महिला प्रतिनिधि हस्ताक्षर करने वाली रोबोट बन कर रह जाती हैं।संक्षेप में कहें, तो **पंचायती राज व्यवस्था** से ग्रामीण महिलाओं की स्थिति में काफी सुधार तो आया है। परन्तु अभी भी **पंचायती राज में महिलाओं की भूमिका** इतनी सशक्त नहीं हुई हैं कि इस व्यवस्था में अपनी जोरदार भूमिका निभा सके। इसके लिए महिलाओं को भी निडर होकर आगे आना होगा।[7]

निष्कर्ष

पंचायत प्रणाली में ग्राम राज और ग्राम स्वराज के बारे में भारत की अवधारणा पश्चिम की संकल्पना से अलग है । निर्णय करने की पंच परमेश्वर की भारतीय पध्दति एक आदर्श पध्दति है क्योंकि ये पंच, लोगों की समस्याओं को सबसे अच्छी तरह जानते हैं । हमारे देश में पंचायत की संकल्पना काफी पुरानी है । चौपाल, जाति पंचायत और परिवार पंचायत आदि संस्थाओं में आधुनिक पंचायत व्यवस्था की जड़ें व्याप्त थीं। सिंधु घाटी की सभ्यता में इसका प्रमाण मिलता है । [17] हमारे देश की जनसंख्या का आधा हिस्सा महिलाएं हैं । अतः देश का समग्र विकास महिलाओं की भागीदारी के बगैर नहीं हो सकता । भारत में अनादि काल से जीवन के हर क्षेत्र में महिलाओं ने पुरुषों के साथ मिलकर काम किया । भारतीय महिलाएं घर-गृहस्थी का पूरा काम-काज निपटाने के साथ-साथ राष्ट्रीय जीवन के हर क्षेत्र में खेतों, खलिहानों, कल-कारखानों, दफ्ऊतरों, अस्पतालों में उपयोगी योगदान करती आई हैं । चाहे गांवों में साक्षरता के प्रसार का अभियान हो, या गांव के युवकों को रोजगार उपलब्ध कराने का मामला हो, गांव में पीने के पानी की समस्या अथवा फसलों को बीमारियों से बचाना हो यह सब कार्य ग्रामीण महिलाएं ही आपसी सहयोग और विकास कार्यों में सबकी भागीदारी सुनिश्चित करके कर सकती हैं । बढती अाबादी की रोकथाम, पर्यावरण की रक्षा, बच्चों को पौष्टिक व संतुलित आहार देने और इन सबसे बढक़र स्थानीय संसाधनों की अधिकाधिक आत्मनिर्भरता प्राप्त करने की दिशा में महिलाएं ही अपना योगदान और नेतृत्व दे सकती हैं । अतः पंचायती राज संस्थानों में भी महिलाओं की अहम भूमिका है । विभिन्न सामाजिक-आर्थिक रूकावटों के कारण महिलाओं को अपनी सांख्यिकी शक्ति के बावजूद समाज में बहुत छोटा दर्जा प्राप्त है । महिलाओं द्वारा अनौपचारिक राजनैतिक क्रियाओं में तीव्र वृध्दि के बावजूद

ISSN(Online): 2319-8753

International Journal of Innovative Research in Science, Engineering and Technology

(An ISO 3297: 2007 Certified Organization)

Vol. 2, Issue 11, November 2013

राजनैतिक संरचना में इनकी भूमिका वास्तव में अपरिवर्तित रही है । कई महिला प्रतिनिधियों को, खासकर कमजोर वर्ग की महिलाओं को, वित्तीय समस्या से अपने परिवार का पालन-पोषण करने के लिए कृषि कार्य अथवा मजदूरी पर जाना पड़ता है । उनका मानना है कि यदि वे पंचायत की बैठकों में जायेंगी तो उनके परिवार का पालन-पोषण कौन करेगा ।[8]

यह देखने को मिलता है कि जिन महिला प्रतिनिधियों के परिवार में 13-16 सदस्य हैं वे परिवार की देखभाल करने और घर का काम करने के कारण पंचायत की बैठकों में कम ही भाग ले पाती हैं ।[16] जिन महिला प्रतिनिधियों का परिवार खेती पर निर्भर है, कृषि कार्य से समय न मिलने के कारण वे पंचायत की बैठकों में भाग नहीं ले पातीं है । ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं की स्थिति दोयम दर्जे की है । यदि कोई महिला आगे बढक़र कोई कार्य करना भी चाहती है तो उसे समाज स्वीकार नहीं करता । समाज में पर्दा प्रथा, पुराने रीति-रिवाज तथा रूढवादिता आज भी विद्यमान हैं, जिससे महिलाएं विकास प्रक्रिया में पूर्ण भागीदारी नहीं कर पा रही हैं । कई गांवों में जातिवाद आज भी विद्यमान है । कुछ गांवों में जहां महिला सरपंच अनुसूचित जाति की हैं, वहां अन्य महिला प्रतिनिधि जो सामान्य तथा पिछड़े वर्ग की पंच महिला हैं, पंचायत की बैठकों में नहीं जातीं क्योंकि उनका मानना है कि महिला सरपंच नीची जाति की हैं और नीची जाति की महिलाओं के साथ बैठने से उनका अपमान होगा ।[9]

अशिक्षित महिला प्रतिनिधि भी महसूस करती हैं कि उन्हें भी पढा-लिखा होना चाहिए ताकि वे भी पंचायती राज व्यवस्था के माध्यम से ग्रामीण विकास के कार्यक्रमों को बना सकें और उन्हें कार्यान्वित कर सकें । महिला प्रतिनिधियों को पंचायत का प्रतिनिधि बनने से पहले या बाद में प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है । जिन गांवों में पंचायत भवन की व्यवस्था नहीं है, वहां महिला प्रतिनिधि पंचायतों की बैठक में नहीं जा पातीं । अधिकांशत: बैठक गांव के स्कूलों में होती है, जो गांव से काफी दूरी पर होते हैं। पंचायती चुनावों मे कई क्षेत्रों में यह देखा गया कि समाज के प्रभावशाली व्यक्ति अपनी ही पत्नी, बहन, मां अथवा किसी अन्य संबंधी महिला को चुनाव में उम्मीदवार के रूप में खड़ा कर देते हैं, जो बाद में उन्हीं के इशारे पर काम करने को विवश होती हैं ।[15] इस प्रकार महिलाओं को एक-तिहाई स्थानों तथा अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए आरक्षित सीटों में से भी एक तिहाई स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित प्रावधान की धज्जियां उड़ाई जाती हैं । गांवों में दलबंदी होने के कारण छोटे-छोटे झगड़े होते हैं और जनकल्याण की योजनाओं के प्रति वे सही निर्णय नहीं ले पातीं।राजनैतिक माहौल में सहभागी महिला प्रतनिधियों के प्रति पुरुष समाज की रूढिवादी सोच बदलनी होगी । महिलाएं पहली बार राजनीतिक माहौल में आ रही हैं । इसलिए उनमें भय, संकोच एवं घबराहट होती है । ऐसी महिलाओं में साहस उत्पन्न करना होगा तथा महिलाओं को उनकी आंतरिक क्षमता एवं शक्ति पर भरोसा कराना होगा । महिलाओं को भी पुरुषों जैसा ही मान-सम्मान और सामाजिक प्रतिष्ठा देनी होगी तभी राजनीति में महिलाओं का सकारात्मक सहयोग प्राप्त हो सकेगा । राजनैतिक माहैल में अपराधीकरण, आतंकवाद, काला धन, चरित्र लांछन जैसे दुर्गुण हैं, इससे महिलाएं सार्वजनिक रूप से अलग रहती हैं । उन्हें सामाजिक अप्रतिष्ठा का भय बना रहता है। इसलिए राजनेताओं और राजनैतिक दलों द्वारा इस दूषित वातावरण में परिवर्तन लाना जरूरी है, ताकि महिलायें राजनीति में अपना सक्रिय योगदान दे सकें । समानता पर आधारित सामाजिक संरचना का गठन करना आवश्यक है । ऐसे समाज का निर्माण करना होगा, जहां मानव द्वारा मानव का शोषण नहीं, स्त्री एवं पुरुष एक दूसरे को सम्मान की दृष्टि से देखें । स्त्री और पुरुष, दोनों ही पारस्परिकर् ईर्ष्या, द्वेष, अहंभावना से ऊपर उठ कर परस्पर सहयोग, परिश्रम एवं संगठन शक्ति का उपयोग कर गांव के विकास में अपना पूर्ण योगदान दे । अधिकतर महिला प्रतिनिधि अनपढ है, ज़िससे उनको पंचायत के लेखापत्र, नियम पढने में या लिखने में दिक्कत आती है । अत: महिला पंचायत प्रतनिधियों को शिक्षा देनी जरूरी है । प्रौढ शिक्षा का लाभ उठाकर एक शिक्षित व्यक्ति एक अनपढ व्यक्ति को पढाने का संकल्प करें तो निरक्षरता का कलंक शीघ्र ही दूर हो सकता है और इससे पंचायतें सक्षम बनेंगी ।[10]

जन जागृति तथा देश के आध्यात्मिक और नैतिक मूल्यों पर जोर देना होगा । ऐसा वातावरण उत्पन्न करना होगा, जिसमें इन मूल्यों को उपयुक्त महत्व प्रदान किया जाए तभी महिलाएं ऊपर उठ सकेंगी और वे पंचायती राज

ISSN(Online): 2319-8753

International Journal of Innovative Research in Science, Engineering and Technology

(An ISO 3297: 2007 Certified Organization)

Vol. 2, Issue 11, November 2013

संस्थाओं में हिस्सा ले सकेंगी । महिलाओं की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए चुने गए प्रतिनिधियों और विकास अधिकारियों के बीच संपर्क के जरिए सक्रिय प्रयत्नों की जरूरत है । निरन्तर सभाओं और विचार-विमर्श के द्वारा कार्य योजना तैयार की जानी चाहिए । महिला विकास कार्यक्रम पंचायतस्थानीय अधिकारियों से अनिवार्य रूप से सम्बध्द हों जिससे कि विकास में महिलाओं की ज्यादा प्रभावपूर्ण भागीदारी संभव हो सके ।[11]

हमारे देश के कर्णधारों ने पंचायतों को अहम भूमिकाएं सौंपी, जिन में से एक थी महिलाओं की राजनैतिक भागीदारी को बढावा देना । [12] संविधान के 73वें तथा 74वें संविधान संशोधनों के माध्यम से पंचायती राज को एक नई दिशा दी गई । इससे सब से बड़ा लाभ यह हुआ कि जनसहभागिता का लाभ कमजोर व पिछड़े वर्ग के प्रतिनिधित्व को मिला । 33 प्रतिशत महिलाओं की निश्चित भागीदारी ने आरक्षण के द्वारा लगभग 15 लाख महिलाओं को ग्राम पंचायतों व शहरी निकायों के चुनावों में भागीदारी का अवसर दिया। इसके फलस्वरूप देश के विभिन्न राज्यों में 43 प्रतिशत तक महिला प्रतिनिधि चुन कर सशक्तिकरण के मार्ग की ओर अग्रसर हुईं । यह निश्चित किया गया कि ग्राम स्वराज की व्यवस्था में ग्राम सभा की अपनी स्थाई समितियों का होना आवश्यक है ताकि बैठकों में कोरम की अनिवार्यता में 33 प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जा सके ।[14] इसका यह लाभ हुआ कि अत्यधिक विरोधों के बावजूद देश भर में पंचायतों के जरिए जहां-जहां महिलाएं सरपंच चुनी गई, वहां-वहां कमोबेश पूरे उत्साह के साथ विकास कार्यों में जुट गई । पंचायती राज मंत्रालय, 27 मई, 2004 से अस्तितव में आया है । इसे पंचायती राज के माध्यम से ग्रामीण गरीबी उपशमन और समृध्दि के लिए नीतियां तथा कार्यक्रम बनाने का कार्य सौंपा गया है । इस मंत्रालय का गठन मूलतः 73वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 (सीएए) द्वारा जोड़े गए संविधान के खंड 9 के कार्यान्वयन की निगरानी करने के लिए किया गया है । पंचायतों की संख्या की वर्तमान स्थिति (1 अप्रैल, 2005) इस प्रकार है ग्राम पंचायत 2,34676, मध्यवर्ती पंचायत 6,097, जिला पंचायत 537 कुल पंचायत संस्थाएं 2, 41,310। इन संस्थाओं में महिलाओं की संख्या और उनका प्रतिशत इस प्रकार है - जिला पंचायत में 41 प्रतिशत, मध्यवर्ती पंचायत में 43 प्रतिशत और ग्रामपंचायत में 40 प्रतिशत। पंचायतों के माध्यम से महिलाओं के सशक्तीकरण का कार्य किया जा रहा है । पंचायतों में महिलाओं की भागीदारी उनके लिए आरक्षित 33 प्रतिशत की न्यूनतम सीमा से अधिक है।[13] देश में पंचायतों के 22 लाख निर्वाचित प्रतिनिधियों में से करीब 9 लाख महिलाएं हैं । तीन स्तरों वाली पंचायत प्रणाली में 59,000 से अधिक महिला अध्यक्ष हैं । महिला सरपंचों की सशक्तिकरण की गाथा तो आए दिन समाचार पत्रों में भी पढने क़ो मिलती हैं, जो इस बात की ओर इशारा करती हैं कि इन महिला प्रतिनिधियों ने विकास के अपने तरीके खोजे हैं । वे इस बात का विशेष ख्याल रखती हैं कि महिलाएं कहीं सतायी तो नहीं जा रही हैं, उनकी बुनियादी जरूरतें पूरी हो रही हैं कि नहीं, क्योंकि महिला होने के नाते वे महिलाओं के दुख-दर्द को अच्छी प्रकार समझ सकती हैं ।पंचायती राज संस्थाओं में परोक्ष और प्रत्यक्ष रूप से 60 लाख महिलाओं के प्रतिनिधित्व ने सामाजिक लामबंदी की प्रक्रिया को तेजी दी है और महिलाएं निजी और सार्वजनिक स्थानों में अपनी भूमिका को नए ढंग से गढ रही हैं । यह भी माना जा रहा है कि पंचायतों में महिलाओं को आरक्षण देने के प्रयोग के अच्छे नतीजे रहे हैं क्योंकि महिलाओं ने न केवल राजनीतिक कौशल हासिल किया है बल्कि वे महिलाओं के हितों की प्रभावी समर्थक भी बनी हैं ।[23]

संदर्भ

1. "Rajya Sabha passes Women's Reservation Bill". द हिन्दू. मूल से 25 दिसंबर 2011 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 25 अगस्त 2010.
2. ↑ [hindu.com/2010/03/10/stories/2010031050880100.htm "Rajya Sabha passes Women's Reservation Bill"] जाँचें |url= मान (मदद). द हिन्दू. अभिगमन तिथि 25 अगस्त 2010.
3. ↑ Jayapalan (2001). Indian society and social institutions. Atlantic Publishers & Distri. पृ॰ 145. आईऍसबीऍन 9788171569250. मूल से 27 सितंबर 2012 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 26 नवंबर 2010.

4. ↑ "Women in History". National Resource Center for Women. मूल से 19 जून 2009 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 24 दिसंबर 2006.
5. ↑ आदर्श पत्नी: त्रियम्बकयाज्वन द्वारा स्त्रीधर्मपद्धति (महिलाओं के कर्त्तव्यों में सहायक) (अनुवादक जूलिया लेसली), पेंग्विन 1995 आईएसबीएन 0-14-043598-0.
6. ↑ see extensive excerpts from strIdharmapaddhati at http://www.cse.iitk.ac.in/~amit/books/tryambakayajvan-1989-perfect-wife-stridharmapaddhati.html
7. ↑ Mishra, R. C. (2006). Towards Gender Equality. Authorspress. आई॰ऍस॰बी॰ऍन॰ 81-7273-306-2. मूल से 29 अक्तूबर 2010 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 26 नवंबर 2010.
8. ↑ Pruthi, Raj Kumar; Rameshwari Devi and Romila Pruthi (2001). Status and Position of Women: In Ancient, Medieval and Modern India. Vedam books. आई॰ऍस॰बी॰ऍन॰ 81-7594-078-6. मूल से 14 फ़रवरी 2012 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 26 नवंबर 2010.
9. ↑ कात्यायन द्वारा वर्त्तिका, 125, 2477
10. ↑ पतंजलि द्वारा अष्टध्यायी के लिए टिप्पणियां 3.3.21 और 4.1.14
11. ↑ आर.सी. मजूमदार और ए.डी. पुसल्कर (संपादक): भारतीय लोगों का इतिहास और संस्कृति. वॉल्यूम I, वैदिक युग. मुंबई: भारतीय विद्या भवन 1951, पी.394
12. ↑ "Vedic Women: Loving, Learned, Lucky!". मूल से 20 नवंबर 2006 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 24 दिसंबर 2006.
13. ↑ "InfoChange women: Background & Perspective". मूल से 24 जुलाई 2008 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 24 दिसंबर 2006.
14. ↑ Jyotsana Kamat (2006-1). "Status of Women in Medieval Karnataka". मूल से 1 जनवरी 2011 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 24 दिसंबर 2006. |date= में तिथि प्राचल का मान जाँचें (मदद)
15. ↑ Vimla Dang (19 जून 1998). "Feudal mindset still dogs women's struggle". The Tribune. मूल से 19 दिसंबर 2006 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 24 दिसंबर 2006.
16. ↑ "The Commission of Sati (Prevention) Act, 1987". मूल से 21 नवंबर 2006 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 24 दिसंबर 2006.
17. ↑ K. L. Kamat (19 दिसंबर 2006). "The Yellamma Cult". मूल से 7 जुलाई 2011 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 25 दिसंबर 2006.
18. ↑ दुबोईस, जीन अंटोनी और बौचंप, हेनरी किंग, हिन्दू मैनर्स, कस्टम्स और सेरेमनिज़, कलेरेंडन प्रेस, 1897
19. ↑ इयान ब्रायंट वेल्स, हिन्दू मुस्लिम यूनिटी का राजदूत
20. ↑ Jyotsna Kamat (19 दिसंबर 2006). "Gandhi and Status of Women". मूल से 9 दिसंबर 2010 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 24 दिसंबर 2006.
21. ↑ "Oxford University's famous south Asian graduates#Indira Gandhi". BBc News. 5 मई 2010. मूल से 19 मई 2010 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 26 नवंबर 2010. Italic or bold markup not allowed in: |publisher= (मदद)
22. ↑ Kalyani Menon-Sen, A. K. Shiva Kumar (2001). "Women in India: How Free? How Equal?". संयुक्त राष्ट्र. मूल से 11 सितंबर 2006 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 24 दिसंबर 2006.
23. ↑ Victoria A. Velkoff and Arjun Adlakha (1998). "Women of the World: Women's Health in India" (PDF). U.S. Department of Commerce. मूल से 4 फ़रवरी 2007 को पुरालेखित (PDF). अभिगमन तिथि 25 दिसंबर 2006. नामालूम प्राचल |month= की उपेक्षा की गयी (मदद)